

Office of The Divisional Director Social Forestry Division, Bijnor

Letter No. 1064 /14-1 Bijnor, 21 Nov. 2022.

To,
The Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench, New Dehli.

Subject:- Regarding compliance of the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 27.09.2022 in Executive Application no.28/2022 in Original Application no.336/2021 (IA no.222/2022)

Respected sir/ madam,

In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 27.09.2022 in Executive Application no.28/2022 in Original Application no.336/2021 (IA no.222/2022) the reply of undersigned is as following:

1. In compliance of Hon'ble Tribunal's order dated 16.12.2021, the reply was submitted on 25.03.2022. Again a copy of the same is being annexed here as **annexure-1**. A copy of Master Plan from Town Planner, Moradabad is also received which is attached here as **annexure-2** in which the Jain Mango orchard is mentioned as "Baag" and not as "Green Belt" as mentioned by applicant in Original Application no.336/2021. The allegation that the mango orchard in the city of Bijnor is being cut without permission is false. A survey was conducted in the orchard by Bijnor range staff and it is found that about 2900 mango trees and more than 1000 trees of popular and other species are there. The report of this is attached as **annexure-3**. It is also worthy to mention here that in year 2018-19 from the said area a felling permit for 18 mango trees was issued as per rules and regulations laid down in U.P.Tree Protection Act,1976 but after that from the office of undersigned no permit is issued for the orchard.
2. In Bijnor District, there are many mango orchards and my office regularly gets application for issuing felling permit but only after following proper rules and regulations mentioned in U.P.Tree Protection Act, 1976, felling permit is issued and for illicit felling necessary action is taken. Details of case booked under UP tree protection act 1976 during last one year is annexed as **annexure-4**. It seems that because of some individual vendetta the applicant has approached to the Hon'ble National Green Tribunal.
3. Except one or two anonymous complain which was found not true after ground verification, no complain is received to my office. I ensure to the Hon'ble National Green Tribunal that all legal action will be taken if any violation comes to my notice.

Your sincerely

(Dr. Anil Kumar Patel)

Divisional Director

Social Forestry Division, Bijnor,U.P.

Annexure - 1

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर
पत्रांक 890(कै0) / 14-1 बिजनौर दिनांक मार्च, 25, 2022

To

Sri Ravi Dahiya
Deputy Registrar
National Green Tribunal
Faridkot house Copernicus Marg
New Delhi-110001

विषय:- Order passed by Hon,ble National Green Tribunal in O.A. No.336/2021

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 जिसका प्रभावी अंश निम्न प्रकार है-

Having regard to the above allegation, we consider it appropriate to direct the Divisional Forest Officer, Bijnor to look into the matter and take such action may be found necessary, following due process of law.

के क्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन द्वारा वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया है-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य सचिव
3- जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
4- जिला कृषि अधिकारी	सदस्य

प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बिजनौर जनपद में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वन स्वरूप क्षेत्रों की सूचना शून्य भेजी गयी है।

यह भी अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 275/पी.ए./I.A./वन स्वरूप दिनांक 20.12.2007 की छाया प्रति संलग्न है, जिसमें उल्लेख है कि वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु निजी या सार्वजनिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपण वन स्वरूप क्षेत्रों हेतु चिन्हित नहीं किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या-202/1995 में उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2000 को दायर शपथ में निम्न उल्लेख है:-


Agroforestry area, areas developed for cash crop or such area where species exempted under Uttar Pradesh Protection of Trees Act (as amended) 1976 are planted will not be considered as forest in dictionary sense.

अतः राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्भवतः जैन फार्म में जो आम के पेड़ खड़े हैं। उनको वन स्वरूप के रूप में चिन्हित नहीं किया गया होगा।

आम के फलदार पेड़ों का पातन उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत उद्यान विभाग से फलदार आम के वृक्षों की फलदायी क्षमता की रिपोर्ट प्रभागीय कार्यालय को प्राप्त होने के उपरान्त उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के क्रम में ही पातन अनुज्ञा निर्गत की जाती है। वर्तमान में जैन मैंगो आर्चर्ड के स्वामी द्वारा कोई पातन अनुज्ञा के संबंध में आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुपालन में वर्तमान में इस प्रकरण में कोई कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर के स्तर से किया जाना वांछित नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार माननीय हरित अभिकरण नई दिल्ली को अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नक:- पत्र की छाया प्रति


(डा0 अनिल कुमार) (सदस्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बिजनौर रेंज संलग्नक-3

पत्रांक 107 / 22-1 दिनांक , बिजनौर 28 अक्टूबर , 2022।
सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सा0 वा0 प्रभाग बिजनौर

विषय:-रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के काम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा दुरभाष पर दिये गये आदेशों के काम में रेंज के अन्तर्गत कार्यरत श्री मदनपाल सिंह वन दरोगा, प्रवीण सिराही वन रक्षक कु0 नीशू वन रक्षक द्वारा जैन फार्म में स्थित आम के वृक्षों की गणना करायी गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0स0	प्रजाति का नाम	वृक्षों की संख्या	अभियुक्ती
1	आम	2912	हरा-खडा
2	पपुलर	1500	हरा-खडा
3	जंगल जलेबी	170	हरा-खडा
4	नीम	03	हरा-खडा
5	पापडी	02	हरा-खडा
	कुल	4587	हरा-खडा

महोदय उक्त जैन फार्म में कुल 4587 वृक्ष वर्तमान में मौजूद है। जो किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे का प्रयोग नहीं पाया गया है। अतः सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिजनौर

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत विगत 1 वर्ष में निजी भूमि पर स्थित प्रजाति के अवैध पातन से सम्बंधित विवरण:-

क्र०सं०	रेंज का नाम	रेंज केस संख्या	उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा	अभिवहन नियमावली 1976 की धारा	कटे वृक्षों की संख्या
1	चौदपुर	30 / चौदपुर / 2021-22	4 / 10	-	1 आम
2	नगीना	7 / नगीना / 21-22	4 / 10	-	1 आम
3	बिजनौर	34 / बिजनौर / 21-22	4 / 10,	3 / 28	22 आम
4	बिजनौर	35 / बिजना / 21-22	4 / 10	3 / 28	19 आम
5	धामपुर	18 / धामपुर / 21-22	4 / 10	-	3 आम
6	नजीबाबाद	11 / नजीबाबाद / 21-22	4 / 10	-	2 शीशम
7	बिजनौर	36 / बिजनौर / 21-22	4 / 10	-	3 आम
8	बिजनौर	37 / बिजनौर / 21-22	4 / 10	-	1 जामुन
9	चौदपुर	32 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	2 आम
10	धामपुर	19 / धामपुर / 21-22	4 / 10	3 / 28	21 आम
11	धामपुर	20 / धामपुर / 21-22	4 / 10	-	9 आम
12	धामपुर	21 / धामपुर / 21-22	4 / 10	-	3 आम
13	बिजनौर	41 / बिजनौर	4 / 10	-	2 शीशम
14	बिजनौर	43 / बिजनौर / 21-22	4 / 10	3 / 28	13 आम
15	चौदपुर	34 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	2 आम
16	चौदपुर	35 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	1 आम
17	धामपुर	22 / धामपुर / 21-22	4 / 10	-	2 आम
18	धामपुर	23 / धामपुर / 21-22	4 / 10	3 / 28	1 नीम, 1 गुलर
19	बिजनौर	44 / बिजनौर / 21-22	4 / 10	-	1 आम
20	चौदपुर	37 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	1 आम
21	चौदपुर	39 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	5 शीशम
22	धामपुर	24 / धामपुर / 21-22	4 / 10	3 / 28	19 आम
23	धामपुर	25 / धामपुर / 21-22	4 / 10	-	23 आम
24	धामपुर	26 / धामपुर / 21-22	4 / 10	-	12 आम
25	बिजनौर	47 / बिजनौर / 21-22	4 / 10	-	2 शीशम
26	बिजनौर	50 / बिजनौर / 21-22	4 / 10	-	10 आम
27	बिजनौर	51 / बिजनौर / 21	4 / 10	3 / 28	10 आम
28	बिजनौर	52 / बिजनौर / 21-22	4 / 10	-	2 शीशम
29	चौदपुर	40 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	5 आम
30	चौदपुर	41 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	11 आम
31	चौदपुर	42 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	4 आम
32	चौदपुर	44 / चौदपुर / 21-22	4 / 10	-	3 आम
33	बिजनौर	54 / बिजनौर / 21-22	4 / 10	-	13 आम
34	नजीबाबाद	15 / नजीबाबाद / 21-22	4 / 10	-	6 आम

35	नगीना	10/नगीना/21-22	4/10	-	2 आम
36	नगीना	11/नगीना/21-22	4/10	3/28	5 आम
37	धामपुर	29/धामपुर/21-22	4/10	-	7 आम
38	चौदपुर	46/चौदपुर/21-22	4/10	-	3 आम
39	धामपुर	31/धामपुर/21-22	4/10	-	1 शीशम
40	नजीबाबद	17/नजीबाबाद/21-22	4/10	3/28	7 सागौन
41	नजीबाबद	18/नजीबाबाद/21-22	4/10	-	14 आम
42	नजीबाबद	19/नजीबाबाद/21-22	4/10	-	9 आम
43	नगीना	14/नगीना/21-22	4/10	3/28	1 आम
44	नजीबाबद	20/नजीबाबाद/21-22	4/10		9 आम
45	नजीबाबद	21/नजीबाबाद/21-22	4/10	3/28	31 सागौन
46	नजीबाबद	22/नजीबाबाद/21-22	4/10	3/28	143 सागौन
47	नजीबाबद	23/नजीबाबाद/21-22	4/10	3/28	39 सागौन।
48	नगीना	15/नगीना/21-22	4/10	-	3 आम
49	धामपुर	1/धामपुर/22-23	4/10	-	13 आम
50	चौदपुर	1/चौदपुर/22-23	4/10	-	8 आम
51	नजीबाबद	6/नजीबाबाद/22-23	4/10	-	58 आम
52	नजीबाबद	7/नजीबाबाद/22-23	4/10	-	30 सागौन
53	धामपुर	2/धामपुर/22-23	4/10	-	5 शीशम
54	धामपुर	3/धामपुर/22-23	4/10	-	4 आम
55	बिजनौर	2/बिजनौर/22-23	4/10	3/28	अभिवहन
56	बिजनौर	3/बिजनौर/22-23	4/10	-	3 सागौन
57	चौदपुर	4/चौदपुर/22-23	4/10	-	2 शीशम
58	चौदपुर	5/चौदपुर/22-23	4/10	-	2 सागौन
59	नजीबाबाद	10/नजीबाबाद/22-23	4/10	-	1 शीशम
60	चौदपुर	7/चौदपुर/22-23	4/10	3/28	6 नीम
61	नगीना	1/नगीना/22-23	4/10	-	2 आम
62	नजीबाबाद	11/नजीबाबाद/22-23	4/10	-	5 आम
63	बिजनौर	5/बिजनौर/22-23	4/10	-	1 आम
64	चौदपुर	8/चौदपुर/22-23	4/10	-	18 सागौन
65	चौदपुर	10/चौदपुर/22-23	4/10	3/28	5 चौदपुर
66	चौदपुर	11/चौदपुर/22-23	4/10	-	4 आम
67	चौदपुर	12/चौदपुर/22-23	4/10	-	2 आम
68	चौदपुर	13/चौदपुर/22-23	4/10	-	4 आम
69	बिजनौर	6/बिजनौर/22-23	4/10	-	4 सागौन
70	बिजनौर	7/बिजनौर/22-23	4/10	-	10 आम
71	चौदपुर	15/चौदपुर/22-23	4/10	-	3 आम
72	चौदपुर	16/चौदपुर/22-23	4/10	-	4 आम
73	बिजनौर	9/बिजनौर/22-23	4/10	-	9 जामुन
74		18/चौदपुर/22-23	4/10	-	5 आम
75	बिजनौर	13/बिजनौर/22-23	4/10	-	8 आम
76	बिजनौर	14/बिजनौर/23-23	4/10	3/28	21 आम

77	बिजनौर	15/बिजनौर/22-23	4/10	-	1 नीम
78	बिजनौर	16/बिजनौर/22-23	4/10	-	1 आम
79	धामपुर	9/धामपुर/22-23	4/10	-	1 नीम
80	चौदपुर	20/चौदपुर/22-23	4/10	-	24 आम
81	चौदपुर	21/चौदपुर/22-23	4/10	3/28	15 आम
82	धामपुर	10/धामपुर/22-23	4/10	-	1 बरगद
83	चौदपुर	22/चौदपुर/22-23	4/10	-	5 आम
84	बिजनौर	20/बिजनौर/22-23	4/10	-	1 आम
85	धामपुर	11/धामपुर/22-23	4/10	-	1 पीपल
86	चौदपुर	23/चौदपुर/22-23	4/10	-	1 तुन
87	नजीबाबाद	14/नजीबाबाद/22-23	4/10	-	4 आम
88	धामपुर	12/धामपुर/22-23	4/10	-	1 आम
89	चौदपुर	25/चौदपुर/22-23	4/10	3/28	1 साख तरासी
90	धामपुर	13/धामपुर/22-23	4/10	-	10 आम
91	नजीबाबाद	16/नजीबाबाद/22-23	4/10	-	1 पीपल
92	बिजनौर	21/बिजनौर/22-23	4/10	-	12 आम
93	नजीबाबाद	15/नजीबाबाद/22-23	4/10	-	10 आम
94	चौदपुर	26/चौदपुर/22-23	4/10	-	3 जामुन
95	धामपुर	14/धामपुर/22-23	4/10	-	15 आम
96	चौदपुर	28/चौदपुर/22-23	4/10	-	30 आम
97	धामपुर	15/धामपुर/22-23	4/10	3/28	1 नीम
98	चौदपुर	31/चौदपुर/22-23	4/10	-	1 आम
99	नगीना	6/नगीना/22-23	4/10	-	1 शीशम
100	बिजनौर	23/बिजनौर/22-23	4/10	-	1 महुआ।
101	चौदपुर	32/चौदपुर/22-23	4/10	-	1 आम
102	धामपुर	16/धामपुर/22-23	4/10	-	1 आम
103	धामपुर	17/धामपुर/22-23	4/10	3/28	2 शीशम
104	धामपुर	18/धामपुर/22-23	4/10	-	2 आम
105	धामपुर	19/धामपुर/22-23	4/10	-	6 आम
106	धामपुर	20/धामपुर/22-23	4/10	3/28	10 आम
107	धामपुर	21/धामपुर/22-23	4/10	-	1 आम
108	नगीना	9/नगीना/22-23	4/10	-	10 नगीना
109	नगीना	10/नगीना/22-23	4/10	-	2 शीशम
110	नगीना	11/नगीना/22-23	4/10	3/28	6 आम
111	धामपुर	22/धामपुर/22-23	4/10	-	1 सागौन
112	बिजनौर	26/बिजनौर/22-23	4/10	-	3 आम
113	नजीबाबाद	18/नजीबाबाद/22-23	4/10	-	1 आम
114	चौदपुर	34/चौदपुर/22-23	4/10	3/28	7 आम

प्रभागीय शिक्षक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।